Vivo V11Pro
AI Dual Camera

शासकीय महाविद्यालय, बेलौदी

जिला-बालोद (छ.ग.)

Email : principalgovt.collegebeloudi@gmail.com

Principal
Govt. Naveen College Beloudi
Distt.-Balod (C.G.)

॥ विवरणिका ॥

सत्र : 2021- 2022

vo V11Pro
Dual Camera

शासकीय महाविद्यालय, बेलौदी (छ.ग.)

- विवरणिका -

प्रथम-खण्ड

महाविद्यालय की स्थापना जुलाई 2013 में हुई। महाविद्यालय का औपचारिक उद्घाटन तात्कालीन क्षेत्रीय सांसद माननीय श्री सोहन पोटाई एवं क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री बीरेन्द्र साहू ने किया। महाविद्यालय में विज्ञान, कला एवं वाणिज्य विषय की कक्षाएं संचालित करने की अनुमति शासन से प्राप्त हुआ, जिसके अंतर्गत प्राणीशास्त्र, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, इतिहास, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र तथा वाणिज्य विषय की अध्यापन व्यवस्था की गई। प्रारंभ में यह महाविद्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बेलौदी के एक प्रखण्ड में संचालित होती थी किन्तु सितम्बर 2017 से यह स्वयं के भवन में संचालित हो रहा हैं। छत्तीसगढ़ शासन उच्चशिक्षा विभाग द्वारा संचालित यह महाविद्यालय अपनी स्थापना के समय पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त था। विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 122248/अका./संबद्धता/2013 द्वारा विभिन्न कक्षाओं के संचालन हेतु संबद्धता प्रदान गई है। वर्तमान में यह महाविद्यालय हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग से संबद्धता प्राप्त है। संख्या में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार अध्यापन होता है तथा विश्वविद्यालय के नियमों व शर्तो के आधीन परीक्षा संचालित होती है।

सन् 2020 से महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर हिन्दी साहित्य विषय पर अध्यापन की अनुमति उच्चशिक्षा विभाग से प्राप्त हुई है।

उच्च शिक्षा को शहरी क्षेत्रों तक सीमित रखकर ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित करने की वर्तमान सरकार की सोच तथा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की सतत् मांग को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने बेलौदी उच्चशिक्षा की पूर्ति हेतु महाविद्यालय प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की। इस महाविद्यालय की स्थापना से निश्चय ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक ग्रामीण अंचल छात्र-छात्राऐं लाभान्वित होगें।

1. संकाय एवं विषय :-

महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय में शिक्षण सुविधा है।

Principal
Govt. Naveen College Beloudi
Distt.-Balod (C.G.)

अध्यापन हेतु उपलब्ध विषय -

1.1 कला संकाय :-

बी. ए. भाग-एक - अनिवार्य विषय-आधार पाठ्यक्रम हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा एवं पर्यावरण अध्ययन/अनिवार्य विषय के साथ निम्नलिखित विषयों का अध्यापन होता है :-

1. समाज शास्त्र 2. राजनीतिक शास्त्र 3. इतिहास 4. हिन्दी साहित्य

1.2 विज्ञान संकाय :-

बी. एस. सी. भाग-एक - अनिवार्य विषय-आधार पाठ्यक्रम हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा एवं पर्यावरण अध्ययन अनिवार्य विषय के साथ निम्नलिखित विषयों का अध्यापन होता है।

Vivo V11Pro
AI Dual Camera

रसायन शास्त्र 2. वनस्पति शास्त्र 3. प्राणी शास्त्र

नोटः बी. ए. द्वितीय एवं बी. ए. तृतीय तथा बी. एस. सी. द्वितीय तथा बी. एस. सी. तृतीय की कक्षाओं में वही विषय मान्य होगे जो प्रथम वर्ष की कक्षा में लिये गये है। विषय परिवर्तन विश्वविद्यालय द्वारा मान्य नही होगें।

1.3 वाणिज्य संकाय :-

बी. कॉम. भाग-एक - अनिवार्य विषय - आधार पाठ्यक्रम हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा एवं पर्यावरण अध्ययन/ अनिवार्य विषय के साथ निम्नलिखित विषयों का अध्यापन होता है।

1. वित्तीय लेखांकन 2. व्यवसायिक प्रबंध 3. व्यावहारिक अर्थशास्त्र

विभिन्न कक्षाओं में उपलब्ध स्थान -

बी.ए. भाग -1	-	80	बी.ए. भाग -2	-	60
बी. कॉम -1	-	60	बी. कॉम -2	-	60
बी. एस. सी. -1	-	60	बी. एस. सी. -2	-	60

महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाएँ -

1. पुस्तकालय :-

महाविद्यालय के पुस्तकालय में लगभग 4083 पुस्तके है । अनु. जाति, अुन. जनजाति तथा बी. पी. एल. के विद्यार्थियों को बुक बैंक योजना के अंतर्गत अध्ययनार्थ पाठ्य पुस्तके दी जाती है। पुस्तक लेते समय परिचय-पत्र प्रस्तुत करना होता है।

2. सूचना एवं मार्ग दर्शन केन्द्र :-

महाविद्यालय के छात्र-छात्रायें के उचित मार्गदर्शन करने के लिए तथा रोजगार संबंधी सूचना देने के लिए सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र की स्थापना की गई है। जहाँ विद्यार्थी रोजगार संबंधी सूचनाएँ प्राप्त कर सकते है।

3. स्वास्थ्य परीक्षण :-

महाविद्यालय के नियमित छात्र-छात्राओं की समय-समय पर स्वास्थ्य की जांच की जाती है। तथा रक्त समूह ज्ञात करने हेतु रक्त परीक्षण करवाया जाता है।

4. खेलकूद सुविधाएँ :-

महाविद्यालय में खेलकूद की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु अनेक सुविधाएँ दी जाती है जिसके अंतर्गत इंडोर गेम में कैरम, बैडमिंटन, शतरंज तथा आउटडोर गेम मे बॉली-बाली, कबड्डी, खो-खो तथा एथलेटिक्स की खेल सामग्री प्रदान की जाती है।

5. छात्रसंघ :-

शासन एवं विश्वविद्यालय के निर्देशन एवं नियमानुसार विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और क्षमता के विकास के लिए छात्रसंघ का गठन किया जाता है जो पूरे सत्र भर प्राचार्य एवं छात्रसंघ प्रभारी के निर्देश में कार्य करता है।

Vivo V11Pro
AI Dual Camera

सुविधा पाने तथा विशिष्ट कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिये किया जा सकता है।

7. **छात्रवृत्तियाँ :-**

महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को निम्न छात्रवृतियों प्राप्त होती है।

अ. अनुसूचित जाति ब. अनुसूचित जन जाति स. पिछड़ा वर्ग द. अल्पसंख्यक

8. **राज्य शासन/केन्द्र शासन द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियाँ :-**

अ. बी. पी. एल. छात्रवृत्ति ब. मेधावी छात्रवृत्ति

अन्यः- महाविद्यालय अपने स्तर पर संकलित निर्धन छात्र सहायता निधि से भी गरीब विद्यार्थियों की आर्थिक सहायता करता है।

द्वितीय-खण्ड

महाविद्यालय में प्रवेश हेतु मार्ग दर्शक सिद्धांत -

1. ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ में सभी शासकीय /अशासकीय महाविद्यालय में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 06 एवं 07 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होगें तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

2. साथ ही पं. रविशंकर शुक्ल वि. वि. रायपुर द्वारा प्रवेश संबंधी जारी किए गए नियम मार्गदर्शी सिद्धांतों के रुप में लागू होंगे।

प्रवेश हेतु आवेदन पत्र एवं संलग्न प्रमाण पत्र - महाविद्यालय में प्रवेश के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र निम्नांकित प्रमाण-पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा करना अनिवार्य है।

1. पिछली संस्था छोड़ने का मूल स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र।
2. पिछली कक्षा की अंकसूची की छायाप्रति।
3. हाईस्कूल उत्तीर्ण की अंकसूची।
4. पिछली संस्था के प्राचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र।
5. अध्ययन की निरन्तरता में यदि व्यवधान आ रहा हो तो ऐसे अन्तराल के लिए शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. सेवा, नौकरी करने वाले विद्यार्थियों को संस्था या कार्यालय प्रमुख का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. अनु. जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को स्थायी जाति-प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
8. प्रवेश हेतु साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्र मूल रुप में प्रस्तुत करना होगा।

प्रवेश हेतु अंतिम तिथि :-

1. स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 30 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रति

o V11Pro
Dual Camera

वर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होगे। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा वि. वि. बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो मान्य होगी।

2. विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुर्नमूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुर्नमूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी।

3. महाविद्यालय में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण। उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टॉफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या/सीट के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

प्रवेश सूची :-

1. प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंकसहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

2. निर्धारित शुल्क जमा कराने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूलप्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रुप निरस्त कर दिया जावे।

3. घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रुपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रुप से वसूला जायेगा। तथापि ऐसे प्रकरणो में 30 जुलाई के पश्चात प्रवेश की अनुमति नही दी जायेगी।

4. स्थानांतरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में निकटस्थ पुलिस थाने में एफ. आई. आर. दर्ज किया जाय। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

प्रवेश पात्रता :-

1. छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी अर्द्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंको तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनो के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ मे है उनके पुत्र-पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितो तथा उनके आश्रितों को शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

2. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और

vo V11Pro
Dual Camera

कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नही दिया जायेगा।

पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अस्थायी प्रवेश छात्र/छात्राओं का स्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।

4. विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों मे स्वाध्यायी आवेदको को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रो को 30 नवम्बर तक निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

प्रवेश की अर्हताएँ :-

1. किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय, शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा मे फेल होने वाले छात्र-छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नही होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नही लिया हो तो वो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नही माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र तथा शपथ-पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसमें प्रवेश नही लिया है के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

2. जिनके विरुद्ध न्यायालय मे चालान प्रस्तुत किया गया हो और / या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहे हो या परीक्षा में या पूर्व सत्र मे छात्रो/अधिकारियों/कर्मचारीयों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो। चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नही हुआ हो ऐसे छात्र/छात्राओ को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

3. महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले/रैंगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिये अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु कमेटी गठित कर जाँच करवाये एवं जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

4. स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर में प्रथम वर्ष 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदको को प्रदेश की पात्रता नही होगी आयु की गणना एक जुलाई की स्थिति में की जावेगी परन्तु आयु सीमा के बन्धन में छात्राओ को 3 वर्ष की छूट रहेगी।

5. अनुसुचित जाति/अनुसुचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विकलांग/महिला आवेदको के लिये आयु सीमा मे तीन वर्ष की छूट रहेगी।

6. स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर गुणानुक्रम निर्धारित किया जाएगा। सामान्य एवं आरक्षित वर्गो के लिए अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

7. प्रथम वर्ष स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित एवं भूतपूर्व नियमित विद्यार्थी तत्पश्चात स्थान रिक्त होने पर स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा।

8. स्नातक अगली कक्षा में उपर्युक्त प्राथमिकता में उत्तीर्ण एवं नियमित एवं भूतपूर्व नियमित विद्यार्थी के बाद एक विषय

में पूरक प्राप्त सत्र के नियमित छात्रों के प्रवेश में प्राथमिकता दी जाये, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

आरक्षण - छ. ग. शासन की आरक्षण नीति के अनुरुप निम्नानुसार होगा।

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसुचित जनजाति के आवेदक के लिए क्रमशः 12 तथा 32 प्रतिशत होगे इन दोनो वर्गों के स्थान आपस मे परिवर्तनीय होंगे।
2. पिछड़े वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) आवेदको के लिए 14% स्थान आरक्षित होगे।
3. स्वतंत्रता सेनानी संग्राम सेनानियो के पुत्र-पुत्रियो तथा विकलांग श्रेणी के आवेदको के लिए संयुक्त रुप से 3% स्थान आरक्षित रहेंगे। विकलांग आवेदको को प्राप्तांको का 10% अंको का अधिभार देकर दोनो वर्गो का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा।
4. प्रवेश की अंतिम तिथि तक आरक्षित स्थानों के लिए पर्याप्त छात्र/छात्राऐं उपलब्ध न हो तो आरक्षित स्थान सामान्य श्रेणी के आवेदको के लिए उपलब्ध रहेगे।
5. आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नही होगा 1/2 प्रतिशत एवं प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या 01 होगी।
6. समय-समय पर शासन काल जारी आरक्षण नियमो का पालन किया जाएगा।

अधिभार :-

1. अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जायेगा पात्रता प्राप्ति हेतु उसका उपयोग नही किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांको के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात बाद में लाये। जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्रो पर अधिभार हेतु विचार नही किया जावेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :-

स्नातक/वर्ष में अर्हकारी परीक्षण में संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांको से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुए प्राप्तांको पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितम्बर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्ही विद्यार्थियों को देय होगी, जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

Vivo V11Pro
AI Dual Camera

6. **परिचय पत्र :-**

महाविद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थियों के परिचय पत्र दिया जाता है जिसका उपयोग पुस्तकालय की वर्ष

विशेष :-

1. जाली प्रमाणपत्रों, गलत जानकारी, जान बूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन त्रुटि, असावधानीवश किसी आवेदक करे प्रवेश मिल गया हो तो ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को है।

2. प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित वाले विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

3. प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने पर अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने पर अथवा निष्काषित किए जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नही किया जायेगा।

प्रवेश के समय भुगतान किये जाने वाले शुल्क :-

(क)	**शासकीय शुल्क**	
1.	पूरे सत्र शिक्षण शुल्क (केवल छात्रों हेतु)	115 /-
2.	स्टेशनरी शुल्क	2 /-
3.	प्रयोग शाला शुल्क	20 /-
4.	प्रवेश शुल्क	3 /-
(ख)	**अशासकीय शुल्क**	
1.	सम्मिलित निधि शुल्क	32 /-
2.	स्नेह सम्मेलन शुल्क	5 /-
3.	परिचय पत्र शुल्क	3 /-
4.	सायकल स्टैण्ड शुल्क (अन्य)	6 /-
5.	महाविद्यालय विकास शुल्क	25 /-
6.	छात्र समिति शुल्क	2 /-
7.	चिकित्सा शुल्क	3 /-
8.	निर्धन छात्र सहायता निधि शुल्क	5/-
9.	रीडिंग रुम	20 /-
(ग)	**महाविद्यालयीन परीक्षा शुल्क (स्थानीय परीक्षा)**	50 /-

(घ)	विश्वविद्यालय शुल्क	150 /-
1.	महाविद्यालय शारीरिक कल्याण शुल्क	500 /-
2.	जनभागीदारी शुल्क	
(ड)	सुरक्षा निधि	60 /-
1.	स्नातक स्तर (तीन वर्षो के लिए)	

टिप्पणी :-

1. सभी प्रकार के शुल्क में शासन द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।
2. प्रवेश मिल जाने के बाद प्रत्येक छात्र-छात्रा को संपूर्ण सत्र के लिए अनिवार्य रुप से शैक्षणिक शुल्क देना होगा। महाविद्यालय में प्रवेश की तिथि अथवा महाविद्यालय छोड़ने की तिथि से इनका कोई संबंध नहीं है।
3. किसी भी प्रकार का शुल्क जमा करते समय प्रवेश पत्र एवं परिचय पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

रैगिंग एवं दण्ड :-

रैगिंग की त्रासदायी प्रताड़ना को स्थायी रुप से रोका जा सके इसलिए महामहिम राज्यपाल के द्वारा 1 सितम्बर 2001 को छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना (रैगिंग का प्रतिषेध) अध्यादेश 2001 जारी किया गया है। इस अध्यादेश के द्वारा रैगिंग को सज्ञेय तथा गैर जमानती अपराध माना गया है। अध्यादेश में रैगिंग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है।

(क) रैगिंग से अभिप्रेत है कि किसी छात्र/छात्रा को मजाकपूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से ऐसा कृत्य करने के लिये उत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना, जिससे उसके मानवीय मूल्य का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित हो, या उसे अभित्रास, सदोष अवरोध, सदोष परिरोध या क्षति, या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग कर अभित्रास देते हुए किसी कार्य से प्रविरत करता हो। रैगिंग का अपराध सिद्ध पाये जाने पर न्यायालय द्वारा दोषी छात्र/छात्राओं को पाँच वर्ष के कारावास की सजा दी जा सकती है तथा उसे संस्था से निष्कासित किया जा सकेगा। ऐसे छात्र/छात्रा को किसी भी शिक्षण संस्था में तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश से वंचित भी किया जा सकेगा। इस अध्यादेश के अंतर्गत प्रताड़ना का प्रकरण अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान के द्वारा अभियुक्त छात्र/छात्रा को निलंबित करने तथा शैक्षणिक संस्था परिसर तथा उसके छात्रावास में प्रवेश से वंचित करने का भी प्रावधान है। प्रत्येक विद्यार्थी को रैगिंग में भाग न लेने संबंधी एक वचन पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। इस वचन पत्र में छात्रों के अभिभावक के भी हस्ताक्षर होंगे।

रैगिंग के अंतर्गत :-

कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1883 (कर्नाटक अधिनियम नं. 1, 1995) अनुच्छेद 2 (29) के अनुसार रैगिंग की

Vivo V11 Pro
AI Dual Camera

परिभाषा इस प्रकार है :-

"किसी छात्र को मजाक में या अन्य किसी प्रकार से ऐसा कार्य करने के लिए कहना, प्रेरित करना या बाध्य करना जो मानव-मर्यादा के खिलाफ हो या जो उसके व्यक्तित्व के विपरीत हो या जिससे वह हास्यास्पद हो जाय या डरा-धमकाकर गलत ढंग से रोककर गलत ढंग से बंद करके या उसे चोट पहुंचाकर या उस पर अनुचित दबाव डालकर या उसे इस प्रकार की धमकी, गलत अवरोध, गलत ढंग से बंदी बनाने, चोट या अनुचित दबाव का भय दिखाकर वैधानिक कार्य करने से मना करना।"

रैगिंग का स्वरुप :-

रैगिंग निम्नांकित रुपों (सूची केवल निर्देशात्मक है, संपूर्ण नहीं) में पाई जाती है :-

स्पष्ट आदेश	रैगिंग में लिप्त होने पर दिए जाने वाले दण्ड
सीनियर छात्रों को "सर" कहने के लिए	1. प्रवेश निरस्त किया जाना
सामूहिक कवायद करने के लिए	2. कक्षा/छात्रावास से निष्कासित किया जाना
सीनियरों को क्लास-नोट्स उतारने के लिए	3. छात्रवृत्ति अथवा अन्य सुविधा रोकना
अनेक सौंपे हुए कार्य करने के लिए	4. परीक्षाओं से वंचित करना
सीनियरों के लिए भृत्योचित कार्य करने के लिए	5. परीक्षा परिणाम रोकना
अश्लील प्रश्न पूछने या उनका उत्तर देने के लिए	6. राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तथा युवा उत्सव में भाग लेने पर प्रतिबंध
नये छात्रों को अपने सीधेपन के विपरीत आघात पहुंचाने हेतु अश्लील चित्रों को देखने के लिए	7. संस्था से रेस्टीकेट किया जाना
शराब, उबलती हुई चाय आदि पीने के लिए बाध्य करना	8. आर्थिक दण्ड रु. 25000.00 तक

कामुक संकेतार्थ वाले कार्य-समलैगिंक कार्य सहित करने के लिए बाध्य करना

ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य करना जिससे शारीरिक क्षति, मानसिक पीड़ा या मृत्यु तक हो सकती है।

नंगा करना, चुंबन लेना, आदि।

अन्य अश्लीलताएँ करना।

उपर्युक्त से यह विदित होता है कि प्रथम पाँच को छोड़कर अधिकतर रैगिंग के विकृत रुपों से युक्त है।

नोट : उपसचिव उच्चशिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर के विज्ञापन क्रमांक 15/2009/38-1, रायपुर दिनांक 03.08.2009 के निर्देशानुसार महाविद्यालय में एंटी रैगिंग स्क्वाड का गठन किया गया।

महाविद्यालयीन अकादमिक कैलेण्डर (सत्र 2015-16)

1.	प्रवेश प्रक्रिया (प्राचार्य का अधिकार)	-	16.06.2016 से 31.07.2015
2.	कुलपति की अनुमति से प्रवेश की अंतिम तिथि	-	14.06.2016
3.	तीनों संकायों के प्रथम वर्ष की कक्षाएँ प्रारंभ	-	01.07.2016
4.	तीनों संकायों के द्वितीय व तृतीय वर्ष की कक्षाएँ	-	16.06.2016

महाविद्यालयीन आंतरिक परीक्षाएँ

1.	पाठ्यक्रम से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की परीक्षाएँ शेष आंतरिक परीक्षाओं के कार्यक्रम विश्वविद्यालय कैलेण्डर के अनुसार आयोजित होंगे।	-	प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को
2.	सामान्य ज्ञान प्रति व खेलकूद से संबंधित गतिविधियों/कार्यक्रमों/प्रतियोगिताओं का आयोजन	-	प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार को
3.	रोजगारोन्मुखी जानकारियाँ/सूचनाएँ व व्यावसायिक/ रोजगार परामर्श	-	प्रत्येक माह के तृतीय शनिवार को
4.	छात्रों की विभिन्न समस्याओं तथा स्वास्थ्य, साफ-सफाई शिक्षा, जागरुकता आदि पर चर्चा/सलाह/समाधान	-	प्रत्येक माह के चतुर्थ शनिवार को
5.	प्रत्येक चार माह पर समीक्षा बैठक		

छात्रसंघ/खेलकूद/एन. सी. सी./एन. एस. एस. एवं समस्त गतिविधियाँ विश्वविद्यालय अकादमिक कैलेण्डर के अनुसार संचालित होगी।